रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1384] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939
No. 1384] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

का.आ. 1567(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3127 (अ), तारीख 20 नवम्बर, 2015 द्वारा, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, राजपत्र की प्रतियां 20 नवम्बर, 2015 जनता को उपलब्ध कराई गईं थी;

और, पणधारियों से कोई टिप्पणी से प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में अक्षांश 15.72 से 15.75 और देशांतर 78.33 से 78.37 के बीच स्थित है और 6.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी घाट को नल्लामलाई और इरामलाई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच रालापाडू को सूखी ढलान भूमियों पर अवस्थित है और इसमें बेहतरीन घास का मैदान है, जो घास चरने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए एक अत्युत्तम पर्यावास है;

और, यह अभयारण्य विशुद्ध् रूप से एक घास के मैदान वाला अभयारण्य है। जहां अद्भुत प्रकार की वनस्पति और जीव जंन्तु पाये जात है और इस अभयारण्य में पाई जाने वाली सामान्य घास *असिटिडा फ्यूनिकलाटा* (चेच्पूरू गद्दी), *क्राइसोपोगोन फलवुस* (गोलडेन बेअरड ग्रास), *हेटेरोपोगोन प्रजातियां*(ब्लेक सिपर ग्रास) (केसरी गद्दी), *सिम्बोपागोन प्रजातियां* (बोदा गद्दी), *सेहिमा नवोसम* आदि है जो मौसमों नदियों के किनारे *मोरिंडा टिंकटोरिया* (टगरू), *जिजाइफस मौरिटिआना* (गोट्टी) और *फोनेक्स* (ईटा) के साथ फैली हुई है;

और यह अभयारण्य विलुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टार्ड (*चोरिओटिस निगरिकेपस*) (मेका बट्टा पिट्टा) का आश्रय-स्थल है, जो इस अभयारण्य का एक फ्लैगशिप प्रजाति है और अन्य मुख्य पशु प्रजातियां लेसर फ्लोरिकैन (*सलफेओटीडेस इंडिका*) (नेल्लाला नेमलि), ब्लैक बक (*अनटेलोपे करविकापरा*)(कृष्णा जिनिका), इंडियन वुल्फ(*कैनिस लूपस पल्लिपस*)(टोडेलु),और मांनिटर लैजार्ड(*वेरनस फलावीसकेनस*), आदि है;

और, ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य, में 1.6751 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र को ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य, की सीमा से 100 मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई ग्राम सम्मिलित नहीं है और पूरे पारिस्थितिक संवेदी जोन में कृषि क्षेत्र सम्मिलित है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र और उसके अक्षांश और देशांतर **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, सें तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी । इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का समर्थन किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण के अनुकूल विकास को सुनिश्चित और प्रोन्नत भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और यथा लागू विनियमों और इस अधिसूचना के उपबंधों जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगें जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास भी है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

IndiaCode

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन सम्बंधी क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगे ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से आगे तक नये होटल और रिसोर्ट का स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों के लिए किया जाएगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नये होटल/ रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापनों का विनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, औ उसमें किए गए संशोधनों के अधीन तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारणों मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भराई का स्थापन अनुज्ञात नहीं होगा ;

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन पर, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 जारी में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा।
(2)	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा गैर प्रदुषित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान नए काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार चालू रह सकते हैं।
(9)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(10)	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण की सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल का कोई सामान्य उपचार सुविधा या प्रसंस्करण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का अधिष्ठापन प्रतिषिद्ध है।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(11)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप छोटी अस्थायी संरचनाओं के लिए के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

		वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से आगे तक नये होटल और रिसोर्ट का स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं पारिस्थितिक पर्यटन गृह वास सहित है; और (v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना निर्देशों का पालन किया जाएगा ।
(14)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे हवाईजहाज, गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(15)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार श्वेत प्रवर्ग निबंधित गैर-प्रदूषण उद्योग और गैर-परिसंकटमय लघु उद्योग तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन से सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पकृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग उत्पाद से देशी-सामाग्री सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाएंगे।
(16)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्त्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(17)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
(18)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(19)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(20)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(21)	विदेशी प्रजातियों को लाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(24)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(26)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव के निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश करने में रोका जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनचर्क्रण और पुन: उपयोग का प्रयास किया जाएगा । अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव के निस्सारण लागू विधियों के अनुसार होगा।
(27)	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन टी एफ पी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	भूमिगत-जल पृथक्करण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(32)	प्लास्टिक थैलों का उपयोग और अन्य प्रकार के प्लास्टिक की पैकिंग आदि का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(33)	कृषि प्रणाली में आमूल में परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(34)	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(35)	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(36)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(37)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(38)	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(39)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(40)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सोलर लाईट आदि को बढावा दिया जाएगा ।
(41)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(42)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(43)	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(44)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(i) जिला कलेक्टर, करनूल — अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि — सदस्य;

(iii) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान अथवा राज्य के विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में नामित एक विशेषज्ञ। — सदस्य;

(iv) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य-सचिव/ सदस्य — सदस्य;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,मेढक सदस्य;

(vi) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार या मुख्य शहरी योजनाकार या नगर योजनाकार सदस्य;

(vii) उप वन संरक्षक (वन्यजीव प्रभारी) सदस्य-सचिव;

6.निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित पार्क का उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/128/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण

पूर्व (क से ख):- पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा रेखा मानचित्र में दिखाए गए **अनुसार स्टेशन 'क' से शुरू होती है (वेलेगोडे क्षेत्र को कम्पार्टमेंट संख्या** 914 **का उत्तर-पूर्वी कोना) स्टेशन 'क' जीपीएस रिडिंग** 15.75480 उ. 78.37790 **पू. है और इसकी सीमा रेखा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से** 100 **मीटर की चौडाई के साथ कम्पार्टमेंट संख्या** 914 **की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिणी दिशा की ओर चलती है। स्टेशन 'बी' की जीपीएस रिडिंग** 15.73720 उ., 78.37800 **पू., है।**

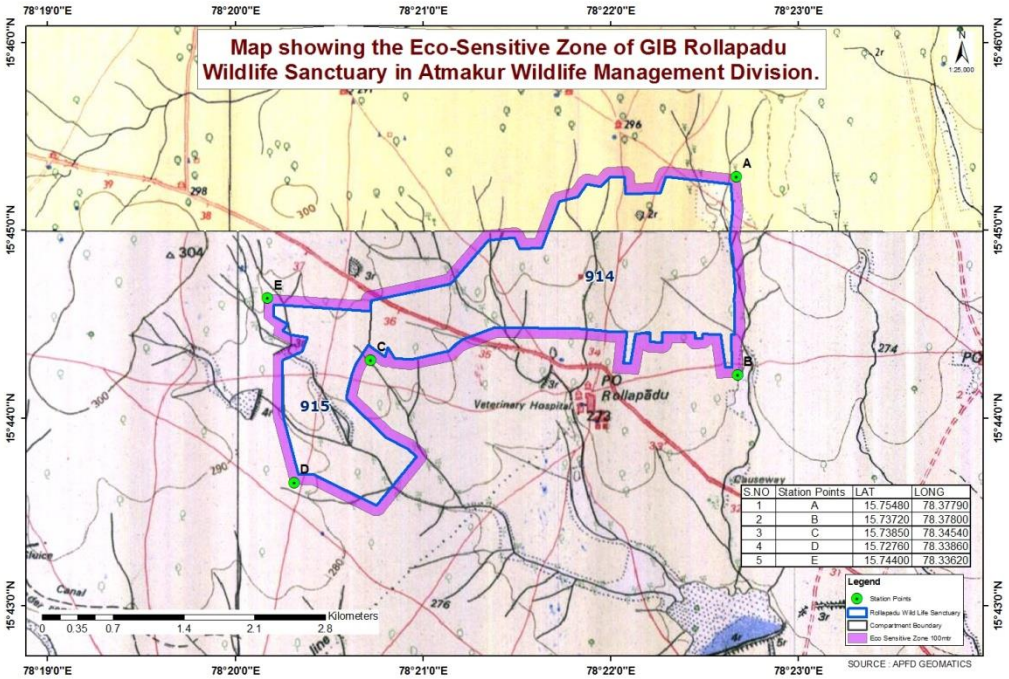
<u>दक्षिण (ख से घ):-</u> वहां से पारिस्थितिक संवेद जोन की सीमा रेखा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड,(जीआईबी) रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य,की सीमा से 100 मीटर की चौडाई के साथ वेलेगोडे रेंज के कम्पार्टमेट संख्या 914 की दक्षिणी सीमा के साथ स्टेशन 'बी' से सर्पाकार तरीके से पश्चिमी की ओर चलती है और मानचित्र पर दर्शाए अनुसार (कम्पार्टमेंट संख्या 914 की दक्षिण- पश्चिम कोना) 15.73850-78.34540 के अक्षांश – देशांतर के साथ स्टेशन 'सी' के साथ मिलती है। वहां से सीमा रेखा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य से 100 मीटर की चौडाई के साथ वेलेगोडे रेंज को कम्पार्टमेंट संख्या 915 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ दक्षिण- पश्चिम दिशा की ओर कुछ दूरी तक चलती है । वहां से यह सीमा रेखा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा के साथ –साथ 100 मीटर की चौडाई के साथ दक्षिण- पूर्व दिशा में चलती है। वहां से यह सीमा रेख वेलेगोडे रेंज को कम्पार्टमेंट संख्या 915 की सीमा रेख से 100 मीटर की चौडाई के साथ-साथ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर की चौडाई के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है और मानचित्र में दर्शाए अनुसार(कम्पार्टमेंट संख्या915 के दक्षिण – पश्चिम कोने से 100 मीटर की चौडाई) स्टेशन 'डी' से मिलती है। स्टेशन 'डी' की जीपीएस रीडिंग 15.72760 उ., 78.33860 पू. है।

<u>दक्षिण (घ से ड.):-</u> वहां से सीमा रेखा, उत्तरी दिशा की ओर वेलेगोडे रेंज की कम्पार्टमेंट संख्या 915 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ 100 मीटर की चौडाई सहित स्टेशन'डी' से सर्पाकार तरीके से उत्तरी दिशा की ओर चलती है और मानचित्र में दर्शाए अनुसार (कम्पार्टमेंट संख्या 915 का उत्तर–पश्चिम कोना) स्टेशन 'ई' से मिलती है जैसा कि स्टेशन 'ई' से मिलती है जैसा कि स्टेशन 'ई' की जीपीएस रीडिंग 15.74400उ., 78.33620पू. (कम्पार्टमेंट संख्या 915 के उत्तर पश्चिम कोने से 100 मीटर चौडाई) है।

<u>दक्षिण (ड. से क):-</u> वहां से सीमा रेखा पूर्वी दिशा की ओर कम्पार्टमेंट संख्या 915 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर की चौडाई सहित स्टेशन 'ई' से सर्पाकार तरीके से पूर्वी दिशा की ओर चलती है और मानचित्र में दर्शाए अनुसार स्टेशन 'ए' के प्रारंभ बिंदु से मिलती है। स्टेशन 'ए' की जीपीएस रीडिंग 15.75480उ., 78.37790 पू. (कम्पार्टमेंट संख्या 914 के उत्तर- पूर्व कोने से 100 मीटर चौडाई) है।

उपाबंध II

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र



ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक (अक्षांश- देशांतर) का सारणी

क्र.सं	प्रमुख विशेषता	अक्षांश	देशांतर
1	पेडे कुन्ता	150 45' 70"	780 22' 50"
2	बायलापाडू कुन्ता	150 44' 25"	780 22' 33"
3	तुगगुबारा कुन्ता	150 44' 31"	780 22' 30"

उपाबंध III

ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1.	15’	44.4’	27.7”	78’	20.6’	38.1”
2.	15’	43.7’	46.2”	78’	20.2’	15.7”
3.	15’	44’	40.5”	78’	20.1’	7.9”
4.	15’	44’	47.2”	78’	21.0’	4.5”
5.	15’	45.3’	19.1”	78’	22.5’	33.9”
6.	15’	44.3’	20.5”	78’	22.5’	34.6”
7.	15’	44.5’	33.2”	78’	21.3’	18.6”

ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1.	15’	45’	17.2”	78’	22’	40.4”
2.	15’	44’	13.9”	78’	22’	40.8”
3.	15’	44’	18.8”	78’	20’	43.4”
4.	15’	43’	39.3”	78’	20’	18.9”
5.	15’	44’	38.4”	78’	20’	10.3”

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2017

S.O. 1567(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3127(E), dated 20th November 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette were made available to the public dated 20th November 2015;

And Whereas, no comments have been received from public/stakeholders;

And Whereas, the Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary is situated between 15.72 to 15.75 Latitudes and 78.33 to 78.37 Longitudes in Kurnool District of Andhra Pradesh and spread over an area of 6.14 square kilometres;

And Whereas, the Wildlife Sanctuary is located in dry rolling lands of Rollapadu between the Nallamalai and Erramalai Hill Ranges of the Eastern Ghats and has one of the finest grasslands, which offers an excellent habitat for varieties of grassland animals;

And Whereas, the Sanctuary is a pure grassland sanctuary with unique floral and faunal characteristics and the common grasses found in the sanctuary are *Aristida funiculate (*Cheepuru Gaddi), *Chrysopogon fulvus (Golden Beard Grass), Heteropogon species (Black Spear Grass) (Kaseri Gaddi), Cymbopogon species (Boda Gaddi), Sehima nervosum* etc. interspersed with *Morinda tinctoria,(Togaru), Zizyphus mauritiana (Gotti) and Phoenix (Eeta)* along the seasonal streams etc.;

And Whereas, the sanctuary harbours the endangered Great Indian Bustard (Choriotis nigriceps) (Meka Batta Pitta) which is a flagship species of the Sanctuary, and the other prominent animal species are Lesser Florican (*Sypheotides indica*)(Neelaala Nemali)), Black Buck *(Antelope cervicapra*) (Krishna Jinka), Indian Wolf (*Canis lupas pallipes*) (Todelu) and Monitor Lizards (*Varanus flavescens*) (Udumu), etc.;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the boundary of the protected area of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries or and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 100 m from the boundary of the Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary covering an area of 1.6751 sq km in the State of Andhra Pradesh, as the Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone has an extent of 100 metres from the boundary of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary in Kurnool District of Andhra Pradesh.

(2) The Eco-sensitive Zone does not include any village and the complete Eco-sensitive Zone consists of agricultural fields.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure II; and**

(5) The co-ordinates of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given at **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department;

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies: The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage: All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites: Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution: Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution: Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents: Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes: Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b)No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste: Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management: The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management: The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste: The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution: Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc. .

(16) Industrial Units: (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be egulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying, crushing units, oil drilling and dredging.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
9.	Establishment of large scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is

IndiaCode

		nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons, etc.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
16.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for

India Code

		industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
17.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Widening and strengthening of existing roads .	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
28.	Air and vehicular pollution .	Regulated under applicable laws.
29.	Noise Pollution.	Regulated under applicable laws.
30.	Groundwater Abstraction.	Regulated under applicable laws.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Use of polythene bags and other forms plastic packaging, etc .	Regulated under applicable laws.
33.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
34.	Eco-tourism activities.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
35.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, fishing.	Permitted under applicable laws.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted
42.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

(i) District Collector, Kurnool —Chairman

(ii) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh —Member

(iii) one expert in the area of ecology and environment from reputed Institution or University of the State to be nominated by the Government of Andhra Pradesh —Member

(iv) Member-Secretary/Member of the State Bio-diversity Board —Member

(v) Regional Officer, State Pollution Control Board, Medak —Member.

(vi) Senior Town Planner of the area/Chief Urban Planner/City Planner —Member.

(vii) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary) —Member Secretary.

6. Terms of Reference: (1) The tenure of the Committee shall be three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/128/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone:

East (A to B):- The Eco-Sensitive Zone boundary line starts from station 'A' as shown on the Map (North – East corner of compartment No. 914 of Velgode Range) . The GPS reading of station 'A' is 15.75480 N, 78.37790 E and the boundary line runs towards Southern direction along with Eastern boundary of compartment No. 914 with a width of 100 Mts, from the boundary of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary and meets station 'B' as shown on the map. The GPS reading of station 'B' is 15.73720 N, 78.37800 E.

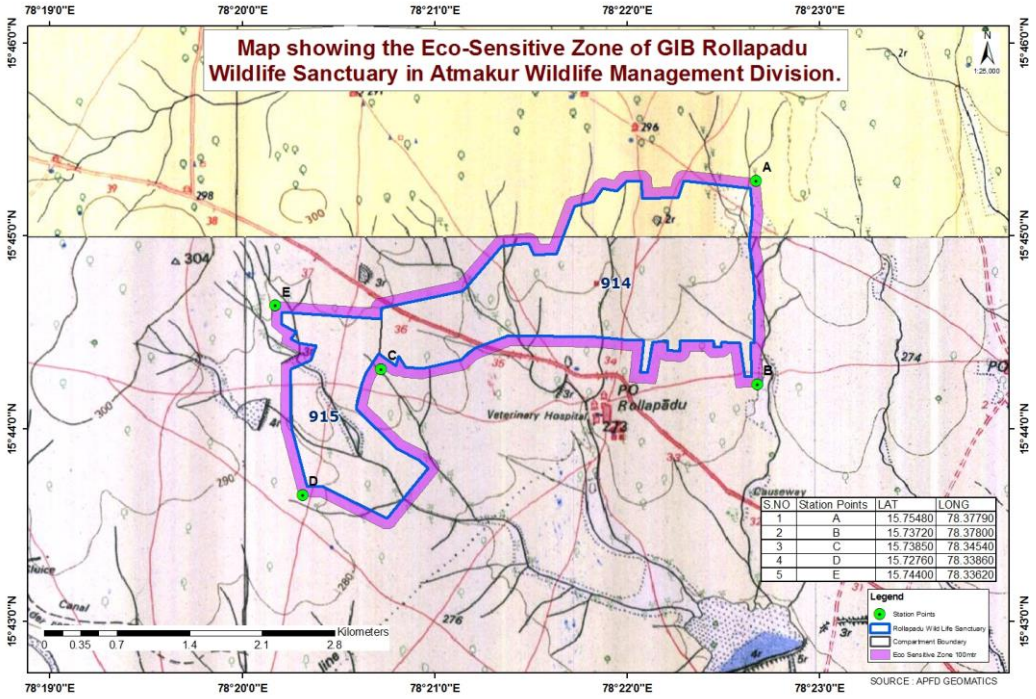
South (B to D):- Thence the Eco-Sensitive Zone boundary line runs towards Western direction in Zig-Zag manner from station 'B' along with southern boundary of compartment No. 914 of Velgode Range with a width of 100 Mts, from the boundary of Great Indian Bustard (G.I.B), Rollapadu Wildlife Sanctuary and meets station 'C' with lat-long of 15.73850-78.34540 as shown on the map (South – West corner of compartment No. 914). Thence the boundary line runs in some distance towards South – West direction along with Eastern boundary of compartment No. 915 of Velgode Range with a width of 100 Mts, from Great Indian Bustard, Rollapdu Wildlife Sanctuary. Thence the boundary line runs towards South – East direction with a width of 100 Mts along with Eastern boundary of Great Indian Bustard, Rollapdu Wildlife Sanctuary. Thence the boundary line runs towards South – West direction with a width of 100 Mts, from the boundary of compartment No. 915 of Velgode Range. Thence the boundary line runs towards North – West direction with a width of 100 Mts, from the boundary of Great Indian Bustard, Rollapdu Wildlife Sanctuary along with Southern boundary of compartment No. 915 of Velgode Range and meets station 'D' as shown on the map (100 Mts, width from South – West corner of compartment No. 915). The GPS readings of station 'D' is 15.72760 N, 78.33860 E.

West (D to E):- Thence the boundary line runs towards Northern direction in Zig – Zag manner form station 'D' with a width of 100 Mts, along with Western boundary of compartment No. 915 of Velgode Range and meets station 'E' as shown on the map (North – West corner of compartment No. 915). The GPS reading of station 'E' is 15.74400 N, 78.33620 E (100 Mts width from North – West corner of compartment No. 915).

North (E to A):- Thence the boundary line runs towards Eastern direction in Zig – Zag manner from station 'E' with a width of 100 Mts, from the boundary of Great Indian Bustard, Rollapadu Wildlife Sanctuary along with Northern boundary of compartment No. 915 & 914 and meets starting point of station 'A' as shown on the map. The GPS reading of station 'A' is 15.75480 N, 78.37790 E (100 Mts, width from North – East corner of compartment No. 914).

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes



S.NO	Station Points	LAT	LONG
1	A	15.75480	78.37790
2	B	15.73720	78.37800
3	C	15.73850	78.34540
4	D	15.72760	78.33860
5	E	15.74400	78.33620

Table of Geo-Coordinates (Latitude-Longitude) of Prominent Locations of Boundary of the Great Indian Bustard Rollapdu Sanctuary

S.No.	Prominent Feature	Latitude	Longitude
1	Pade Kunta	150 45' 70"	780 22' 50"
2	Bayalapadu Kunta	150 44' 25"	780 22' 33"
3	Tuggubara Kunta	150 44' 31"	780 22' 30"

Annexure III

Sanctuary Boundary Co-ordinates of Great Indian Bustard Rollapdu Wildlife Sanctuary

S.No.	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1.	15’	44.4’	27.7”	78’	20.6’	38.1”
2.	15’	43.7’	46.2”	78’	20.2’	15.7”
3.	15’	44’	40.5”	78’	20.1’	7.9”
4.	15’	44’	47.2”	78’	21.0’	4.5”
5.	15’	45.3’	19.1”	78’	22.5’	33.9”
6.	15’	44.3’	20.5”	78’	22.5’	34.6”
7.	15’	44.5’	33.2”	78’	21.3’	18.6”

IndiaCode

Eco-Sensitive Zone Co-ordinates of Great Indian Bustard Rollapdu Wildlife Sanctuary

S.No.	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1.	15’	45’	17.2”	78’	22’	40.4”
2.	15’	44’	13.9”	78’	22’	40.8”
3.	15’	44’	18.8”	78’	20’	43.4”
4.	15’	43’	39.3”	78’	20’	18.9”
5.	15’	44’	38.4”	78’	20’	10.3”

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.23 11:16:18 +05'30'